राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)

NABARD

विज्ञापन सं. 4 /वि. सहायक/2022-23

विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए भर्ती

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में विकास सहायक / विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. अभ्यर्थी 15 सितंबर 2022 से 10 अक्तूबर 2022 के बीच नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है जो पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में है तथा जहां सबके लिए नियुक्ति के समान अवसर दिए जाते हैं.

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी सभी अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और यह सुनिश्चित करें कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. नाबार्ड आवश्यक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करेगा और उनके कार्यग्रहण के पूर्व उनकी पात्रता का सत्यापन करेगा. यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई सूचना मिथ्या / गलत है या बैंक के मतानुसार अभ्यर्थी पद के लिए पात्रता मानदंड पूरे नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा में शामिल होने/ कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक की वेबसाइट www.nabard.org. के माध्यम से ही **ऑनलाइन** आवेदन करें. आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका नाबार्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

हेल्पलाइन: फॉर्म भरने, शुल्क का भुगतान करने या कॉल लेटर प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो http://cgrs.ibps.in पर पूछताछ की जा सकती है. कृपया ई- मेल के विषय के अंतर्गत 'नाबार्ड विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के लिए परीक्षा' लिखना न भूलें.

महत्वपूर्ण तारीखें:

वेबसाइट लिंक उपलब्ध होना- ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्कों/ इंटीमेशन प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान	15 **सितंबर** 2022 **से 10 अक्तूबर** 2022 **तक**
चरण-I (प्राथमिक) – ऑनलाइन परीक्षा	06 **नवंबर** 2022
चरण-II (मुख्य) – ऑनलाइन परीक्षा	**परीक्षा की निश्चित तिथि की घोषणा अलग से नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर की जाएगी.**

प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित रहेगा. कॉल लेटर/ हैंडआउट को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.nabard.org. पर ऑनलाइन लिंक्स दिए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान वे हमारी वेबसाइट नियमित रूप से देखें**.**

कृपया यह नोट करें कि उक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है**,** तो वह बैंक की वेबसाइट www.nabard.org. पर प्रकाशित किया जाएगा.

1. अ) पदों की संख्या और आरक्षण- विकास सहायक

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	अना	श्रेणी						
				अजा	अजजा	अपिव	आकव	दिव्यांग	पूर्व सैनिक	डीआईएस- पूर्व सैनिक
1	आंध्र प्रदेश	6	3	1	0	2	0			
2	असम	2	1	0	0	1	0			
3	बिहार	2	1	0	0	1	0			
4	छत्तीसगढ़	3	2	0	1	0	0			
5	गोवा	1	1	0	0	0	0			
6	गुजरात	7	3	0	0	3	1			
7	हरियाणा	4	2	1	0	1	0			
8	कर्नाटक @	4	2	0	0	2	0			
9	मध्य प्रदेश	8	5	1	1	0	1			
10	महाराष्ट्र @@	75	30	8	4	25	8	**9**	**17**	**7**
11	मणिपुर	1	1	0	0	0	0			
12	नागालैंड	1	1	0	0	0	0			
13	नई दिल्ली	2	1	0	0	1	0			
14	ओडिशा	4	2	0	2	0	0			
15	पंजाब	5	3	1	0	1	0			
16	राजस्थान	8	4	2	1	1	0			
17	तमिलनाडू	7	4	0	0	2	1			
18	तेलंगाणा	7	2	1	1	2	1			
19	उत्तर प्रदेश@@@	9	4	2	0	2	1			
20	उत्तराखंड	5	3	1	0	0	1			
21	पश्चिम बंगाल	12	5	3	1	2	1			
कुल रिक्तियाँ		**173**	**80**	**21**	**11**	**46**	**15**	**9**	**17**	**7**

@ कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरु के लिए 2 और बर्ड मंगलुरु के लिए 2 रिक्तियाँ शामिल है.
@@ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए 3 और प्रधान कार्यालय, मुंबई के लिए 72 रिक्तियाँ शामिल है.
@@@ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए 8 और एनबीएससी, लखनऊ के लिए 1 रिक्तियाँ शामिल है.

नोट: दिव्यांग की 9 रिक्तियों में 1 पहले की रिक्ति है . दिव्यांग रिक्तियां 02 प्रत्येक श्रेणी (ए), (बी), (सी) के लिए और 03 श्रेणी (डी) + (ई) के अंतर्गत आरक्षित हैं (1 बैकलॉग रिक्ति सहित, श्रेणी (ई) यानी एमडी के तहत आरक्षित है.

1. आ) पदों की संख्या और आरक्षण – विकास सहायक (हिन्दी)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	अना	श्रेणी						
				अजा	अजजा	अपिव	आकव	दिव्यांग	पूर्व सैनिक	डीआईएस-पूर्व सैनिक
1	महाराष्ट्र $	1	0	0	1	0	0			
2	तमिलनाडु	1	1	0	0	0	0			
3	तेलंगाणा	1	1	0	0	0	0			
4	उत्तराखंड	1	1	0	0	0	0			
कुल		**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	0	0	**0**	**0**

नोट: $ महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय में पहले की 1 बैकलॉग रिक्ति शामिल है.

संक्षेपाक्षर: अजा– अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति, अपिव– अन्य पिछड़ा वर्ग, अना- अनारक्षित डीआईएस-पूर्व सैनिक- विकलांग हुए पूर्व सैनिक और कार्रवाई में हत पूर्वसैनिक के आश्रित, पीडबल्यूबीडी- दिव्यांग व्यक्ति, आकव- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.

दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिकों (पूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है और विभिन्न संवर्गों में राज्य-वार रिक्तियों में शामिल है.

नोट: अभ्यर्थी केवल एक राज्य में नियुक्ति के लिए आवेदन करें. बैंक को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/ कमी करे या रिक्तियों को न भरे या भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त कर दे.

अभ्यर्थी विकास सहायक अथवा विकास सहायक (हिन्दी) में से केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आरक्षित श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:

क) विकलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों नामतः अनारक्षित, अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कुल रिक्तियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) के लिए कुल रिक्तियों के 4% की दर से आरक्षण लागू होगा.

ख) विभिन्न श्रेणियों नामतः अनारक्षित, अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित समग्र राज्य-वार रिक्तियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल रिक्तियों के 14.5% के दर से आरक्षण होगा जिसमें दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए एकत्रित रूप से 4.5% रिक्तियाँ आरक्षित हैं.

ग) अजा/ अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर) जैसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, यदि उनके राज्य में उनके श्रेणी के लिए रिक्तियाँ आरक्षित नहीं हैं तो अनारक्षित रिक्तियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. तथापि , उन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों के समकक्ष आयु और शैक्षिक आहर्ता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा. तथापि जहां भी लागू हो, शुल्क से संबन्धित छूट के लिए वे पात्र होंगे.

घ) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आते हैं वे अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं. वे अपने नाम के सामने 'सामान्य' (अनारक्षित) लिखें.

ङ) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 01 अप्रैल 2022 के बाद जारी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

च) आकव श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 'आय और आस्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा. आकव के तहत आरक्षण का लाभ लेने वाले आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 01-04-2022 को या उसके बाद जारी किया गया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, की शर्तों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है.

छ) **भर्ती की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक विभिन्न प्रमाणपत्रों के फॉरमेट अभ्यर्थी के मार्गदर्शन के लिए हमारी वेबसाइट www.nabard.org - कैरियर नोटिस से डाऊनलोड के लिए उपलब्ध हैं.**

ज) परिणामों को अंतिम रूप देते समय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

2. परिभाषाएं:

i) पूर्व सैनिक

वे अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करते हैं.

ii) विकलांग पूर्व सैनिक: वे भूतपूर्व सैनिक जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा में रहते हुए, शत्रु के विरुद्ध या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए हों, को विकलांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा.

iii) सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए सैनिकों के आश्रित व्यक्ति: उन सैनिकों को सैनिक सेवा में कार्रवाई के दौरान मारा गया माना जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार की कार्रवाइयों में मारे गए हों- (क) युद्ध, (ख) पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध विराम रेखा पर युद्ध जैसी कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़, (ग) विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई के वातावरण में सशस्त्र दुश्मनों के विरुद्ध लड़ाई जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में, (घ) विदेश में शांति स्थापना मिशन में सेवा, (ङ) किसी कार्रवाई की समाप्ती के एक माह पहले से लेकर तीन माह बाद तक के दौरान बारूदी सुरंगे बिछाने अथवा दुश्मनों द्वारा बिछाई गई सुरंगों को हटाने की कार्रवाई (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान शीतदंश लगना, (छ) आंदोलनरत पैरा मिलिटरी बलों से निपटना और (ज) श्रीलंका में सैनिक कार्रवाई के दौरान मृत भारतीय शांति सेना के सैनिक शामिल है.

नोट:

क) केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो **01 सितंबर 2023** को या उसके पूर्व सशस्त्र सेना से निकले हों/ सेवानिवृत हुए हों या जिनके सेना से निकलने/ सेवानिवृत्त होने की संभावना है. उन्हें नाबार्ड में भर्ती होने के समय अपना निर्गमन पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों के अधिकारी हैं. जो अभ्यर्थी अपनी सेवा की आरंभिक अवधि पूरी कर चुके हों और विस्तारित अवधि में लगे हों, उन्हें इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. चुने जाने पर ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी अभ्यर्थियों को स्वयं को **01 सितंबर 2023** या उसके पहले सैनिक सेवा से मुक्त करना होगा.

ख) दिनांक 15 नवंबर 1986 से टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समान माना जाएगा.

ग) सरकारी गैर-सैनिक सेवा में पुनर्नियुक्ति के प्रायोजन से पूर्व सैनिकों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/ 2014 इस्ट (रिज़) के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

घ) सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित आरक्षण के लिए पात्र हैं. विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए कुल मिलाकर 4.5% रिक्तियाँ आरक्षित हैं. नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता विकलांग हो चुके भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता सैन्य कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों अथवा अत्याधिक सीमा तक विकलांग हुए (रक्षा सेवाओं में हुई विकलांगता 50% से अधिक) रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को दी जाएगी. इस रियायत के प्रयोजन से परिवार के सदस्यों में विधवा, पुत्र, पुत्री या ऐसे निकट संबंधी शामिल होंगे जो परिवार को चलाने के लिए सहमत हों. ऊपरी आयु-सीमा और शैक्षणिक योग्यता में भूतपूर्व सैनिकों/ विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध छूट कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को उपलब्ध नहीं होगी.

ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में केंद्र सरकार के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति के मामले में उनपर निम्नलिखित नियम लागू होगा:

"जिन पूर्व-सैनिक अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' में में नौकरी प्राप्त हो चुकी है उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में दूसरी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आयु सीमा छूट का लाभ लेने की अनुमति है. लेकिन ऐसे अभ्यर्थी केंद्र सरकार की नौकरी में दूसरी बार आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे."

iv) विकलांग/ दिव्यांग व्यक्ति:

विकलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांगता के विभिन्न संवर्गों के लिए लागू विकलांगता की परिभाषाएँ निम्नानुसार है:

3. स्क्राइब का उपयोग करने वाले पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन परीक्षा के दौरान, दृष्टि विकलांगता वाले अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की गति स्थायी रूप से बाधित है, अपनी लागत पर निम्नलिखित (i) और (ii) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सहायता ली जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क. अभ्यर्थी को अपनी लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

ख. अभ्यर्थी द्वारा लिया गया स्क्राइब इसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो अभ्यर्थी और उसके स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी.

ग. परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से इस बात का उल्लेख ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उल्लेख करें. बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

घ. एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब का कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य अभार्थी के लिए स्क्राइब नहीं बन सकता.

ङ. स्क्राइब किसी भी शिक्षा के विषय का छात्र हो सकता है.

च. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी. यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह बताया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है तो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी.

छ. परीक्षा के समय अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों कॉल लेटर के साथ-साथ एक उपयुक्त वचन-पत्र देंगे जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि स्क्राइब उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि स्क्राइब ने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या

महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी हुआ हो.

ज. वचन-पत्र का प्रो-फॉर्मा नाबार्ड की वेब-साइट www.nabard.org. पर उपलब्ध है. जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करते हैं उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा या सूचित किया जाएगा.

झ. जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण कराया होगा, केवल उन्हें ही यह सुविधा मिलेगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय सिस्टम पर आधारित होता है. यदि अभ्यर्थी ने इसके लिए पंजीकरण न कराया हो तो परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी के लिए इसकी अनुमति देना संभव नहीं होगा. जो अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी.

(i) **लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले जिन अभ्यर्थियों की प्रमुख (लिखने की) एक्सट्रीमिटी काम करने की क्षमता को कम कर देने वाली है (कम से कम 40% अक्षमता), उन्हें प्रति घंटा 20 मिनट दिया जाएगा अथवा सूचित कर अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

(ii) **दृष्टि अक्षमता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

- दृष्टि अक्षमता वाले अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम नहीं है) उनके पास यह विकल्प है कि वे फॉन्ट का आकार बड़ा कर जांच परीक्षा की विषय- वस्तु को देखें और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त अथवा अन्यथा यथासूचित प्रतिपूर्ति समय के लिए पात्र होंगे.

- विषय-वस्तु के फॉन्ट के आकार को बढ़ाकर देखने की सुविधा का लाभ दृष्टि अक्षमता वाले ऐसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगा जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएँ लेते हैं.

अ. दृष्टि विकलांगता (वीआई): केवल ऐसे दृष्टि विकलांग आवेदन करने हेतु पात्र हैं जो सर्वोत्कृष्ट संभव सुधार के बाद भी निम्नलिखित में से किसी एक समस्या से ग्रस्त हैं:

(i) दृष्टिहीनता:

(i) पूर्ण दृष्टिहीनता; अथवा

(ii) सर्वोत्कृष्ट संभव सुधार के साथ आँख से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) तक दृष्टिगत क्षमता; अथवा

(iii) 10 डिग्री के कोण से कक्षांतरित दृष्टि सीमा या उससे भी खराब स्थिति.

(ii) कम दृष्टि:

(i) सर्वोत्कृत्ष्ट संभव सुधार के साथ बेहतर आँख से 6/18 से कम अथवा 20/60 से 3/60 तक अथवा 10/200 (स्नेलेन) तक दृष्टिगत क्षमता; अथवा

(ii) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक कोण से कक्षांतरित दृष्टि क्षेत्र सीमा

आ. श्रवण अक्षमता:

क. **बधिर** : इससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दोनों कानों में स्पीच फ्रिक्वेंसी में 70 डीबी श्रवण हानि से ग्रस्त हो.

ख. **कम सुनाई देना** : इससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दोनों कानों में स्पीच फ्रिक्वेंसि में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि से ग्रस्त हो.

इ. चालन नि:शक्तता (एलडी): प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोगी, बौनापन, मांसपेशीय दिस्ट्रोफि और तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों सहित मांसपेशीय या अस्थिपंजर के अक्षम होने के कारण स्वयं के या वस्तुओं के चालान से जुड़ी, विशेष कार्य कर पाने में व्यक्ति की अक्षमता. ओर्थोपेडिक बाधा वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंच मार्क वाली चालन नि:शक्तता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा:

क. एक बांह – एक बांह प्रभावित (दाहिना या बायां)

ख. एक पैर – एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)

ग. दोनों बाहें – दोनों बाहें प्रभावित

घ. दोनों पैर – दोनों पैर प्रभावित

ङ. एक बांह और एक पैर - एक बांह और एक पैर प्रभावित

'एक बांह' और 'एक बांह और एक पैर' प्रभावित वाली श्रेणी के व्यक्तियों का बाइलैटरल हैंड फंक्शन सामान्य होना चाहिए.

(i). "कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कुष्ठरोग का उपचार किया जा चुका है. लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना का अभाव साथ ही आँख और पलकों में संवेदना का अभाव तथा पेषिगत पक्षाघात लेकिन कोई प्रकट विरूपता नहीं;

(b) प्रकट विरूपता और पेषिगत पक्षाघात लेकिन हाथों और पैरों में इतनी पर्याप्त चलन क्षमता जिससे वह सामान्य आर्थिक गतिविधि संचालित कर सके;

(c) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और बड़ी उम्र जो उसे कोई लाभप्रद पेशा अपनाने से रोकती है और 'उपचारित कुष्ठरोगी' अभिव्यक्ति का आशय तदनुसार होगा;

(ii) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात" से ऐसा नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलोजिकल स्थितियों का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के चालन और मांस पेशियों के बीच समन्वयय को प्रभावित करता है और ऐसा व्यक्ति जो जन्म के पहले या उसके दौरान या उसके तुरंत बाद समान्यतः मस्तिष्क के किसी एक या अधिक विशेष हिस्सों में हुई क्षति का कारण होता है;

(iii) "बौनापन" से ऐसी चिकत्सीय या आनुवांशिक स्थिति अभिप्रेत है जिससे वयस्क की ऊंचाई 4 फिट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(iv) "पेशीय डीस्ट्रोफ " से ऐसा आनुवांशिक पेशीय रुग्णता समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को चलाने वाली पेशियों को कमजोर करता है और बहू डीस्ट्रोफी से प्रभावित व्यक्तियों के जीन से संबन्धित कुछ अशुद्धता या अभाव होता है जिसके कारण स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं बन पाता. इसके लक्षण हैं स्केलेटल पेशियों में बढ़ती हुई कमजोरी, पेशीगत प्रोटीन में कमी और पेशियों के सेल्स और टिशूज का मृत हो जाना;

(v) "एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एसिड या इसी प्रकार की घातक वस्तु के हिंसक आक्रमण से विरूपित हो गया हो.

ई. इस श्रेणी में केवल वही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिन्हें निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की विकलांगता है:

(i) "विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता": इससे ऐसी स्थितियों के बहुविध समूह अभिप्रेत है जिनमें लिखित या मौखिक भाषा को समझने में कमी होती है जिसका प्रकटन भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में और अंकों की गणना करने में कठिनाई होती है. इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डेवलेपमेंट अफसिया शामिल है.

(ii) "ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर": इससे ऐसी तंत्रिका विकास की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जो 3 वर्ष की उम्र तक सामने आती हैं और व्यक्ति की सम्प्रेषण क्षमता, रिश्तों की समझ और अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करती है और इसमें असामान्य या एक ही प्रकार के कार्य या व्यवहार की प्रवृति होती है.

(iii) "मानसिक बीमारी": इससे विचार विचार-शक्ति, भावदशा, अवधारणा, उन्मुखता, या स्मरण-शक्ति की ऐसी अधिक अव्यवस्था अभिप्रेत हैं जिससे निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को समझने की क्षमता या जीवन की दैनंदिन सामान्य कार्यों को पूरा करने की क्षमता क्षतिग्रस्त होती है. लेकिन इसमें ऐसा मंदबुद्धित्व शामिल नहीं है जो मस्तिष्क के विकास के अवरुद्ध हो जाने या अपूर्ण रह जाने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है जिसका लक्षण व्यक्ति में सामान्य से कम बुद्धि होना है.

उ. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त बेंचमार्क विकलांगता की पहचान की गई

पद	श्रेणियाँ जिनकी पहचान की गई है	पदों के लिए उपयुक्त विकलांगता की श्रेणी
विकास सहायक	श्रेणी (क)	दृष्टिहीनता कम- दृष्टि
	श्रेणी (ख)	बधिर कम सुनाई देना

विकास सहायक	श्रेणी (ग)	एक बाह प्रभावित दोनों बाहें प्रभावित एक पैर प्रभावित दोनों पैर प्रभावित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति बौनापन एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति पेशीय डीस्ट्रोफि
	श्रेणी (घ)	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (माइल्ड) विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता बौद्धिक अक्षमता मानसिक बीमारी
	श्रेणी (ङ)	बहू-अक्षमता (उपर्युक्त (क) और (घ) शामिल है)
विकास सहायक-(हिन्दी)	श्रेणी (क)	कम- दृष्टि
	श्रेणी (ख)	बधिर कम सुनाई देना
	श्रेणी (ग)	एक बाह प्रभावित दोनों बाहें प्रभावित एक पैर प्रभावित दोनों पैर प्रभावित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति बौनापन एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति पेशीय डीस्ट्रोफि
	श्रेणी (घ)	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (माइल्ड) विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता मानसिक बीमारी
	श्रेणी (ङ)	बहू-अक्षमता (उपर्युक्त (क) और (घ) में शामिल अक्षमता)

नोट: केवल 'बेंचमार्क विकलांगता' वाले व्यक्ति ही जिनकी विकलांगता उन मामलों में जिनमें मापने योग्य रूप से विशिष्ट विकलांगता को परिभाषित न किया गया हो, 40% से कम न हो, आरक्षण के लिए पात्र होंगे और इसमें ऐसे

व्यक्ति शामिल हैं जिनकी विकलांगता मापने योग्य रूप में परिभाषित की गई है और वह प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है.

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आवेदन में उल्लिखित आवास प्रमाणपत्र में दिए गए आवेदक के आवास के जिले में किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में अद्यतन विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. **प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तारिक को या उसके पहले दिनांकित होना चाहिए.**

उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अधीन है.

4. पात्रता मानदंड:

(क) आयु (01 सितंबर 2022 को):

21 से 35 वर्ष के बीच.

केवल ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका जन्म 02 सितंबर 1987 से पहले और 01 सितंबर 2001 के बाद (दोनो तारीखों को शामिल करते हुए) नहीं हुआ हो.

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क्रम सं	**श्रेणी**	**आयु में छूट**
(i)	अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष अर्थात् 40 वर्ष तक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)	3 वर्ष अर्थात् 38 वर्ष तक
(iii)	शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडबल्यूबीडी)	10 वर्ष (सामान्य), 13 वर्ष (अपिव) एवं 15 वर्ष (अजा/ अजजा)
(iv)	पूर्व सैनिक	सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा अवधि और 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि और अधिकतम 50 वर्ष के अधीन.
(v)	विधवा/ तलाकशुदा महिलाएं/ महिलाएं जो कानूनी रूप से अलग हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अजा/ अजजा के लिए)	5 वर्ष अर्थात् 40 वर्ष तक

नोट: उपर्युक्त मदों के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी को उम्र सीमा में संचयी छूट नहीं दी जाएगी.

जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी.

(ख) शैक्षणिक योग्यता (01 सितंबर 2022 को):

(अ) विकास सहायक

1. भारत में किसी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम द्वारा निगमित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (3) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था से समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडबल्यूबीडी और पूर्व सैनिक अभ्यथियों के लिए पास श्रेणी) किसी भी विषयक्षेत्र में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता.

(आ) विकास सहायक (हिन्दी)

1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम से समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडबल्यूबीडी और पूर्व सैनिक अभ्यथियों के लिए पास श्रेणी) स्नातक डिग्री **अथवा** मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडबल्यूबीडी और पूर्व सैनिक अभ्यथियों के लिए पास श्रेणी) स्नातक डिग्री.

अभ्यर्थी के पास अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता होना अनिवार्य है.

नोट:

i) सभी शैक्षणिक योग्यताएँ भारत में किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य विधान सभा अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान अथवा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड घोषित विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए.

ii) कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान अंकों को श्रेणी अथवा प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और सकल ग्रेड पॉइंट देते है (यथा सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान सकल ग्रेड पॉइंट को अंकों की श्रेणी और/ अथवा प्रतिशत में बदलने का कोई मानदंड घोषित करती हैं वो स्वीकार्य होगा. तथापि जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान सकल ग्रेड पॉइंट को अंकों की श्रेणी और/ अथवा प्रतिशत में बदलने का कोई मानदंड नहीं देती है तो अपरिभाषित पैरामीटर निम्नानुसार होंगे:

सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई अथवा दस पॉइंट के पैमाने पर आबंटित इसी प्रकार की परिभाषाएँ	अंकों का प्रतिशत
6.75	60%
6.25	55%
5.75	50%
5.25	45%

iii) जहां भी सकल ग्रेड पॉइंट अथवा अंकों का प्रतिशत प्रदान किया जाता है तो इसका आशय पाठ्यक्रम की पूरी अवधि और सभी विषय के सकल जोड से है.

iv) जहां सकल ग्रेड पॉइंट (सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) 10 अंक के स्थान के अतिरिक्त किसी रूप में प्रदान किए जाते हैं तो उन्हें 10 में से प्रदान किए जाने के रूप में समीकृत किया जाएगा और उक्त (ii) के अनुसार परिभाषित किया जाएगा.

v) प्रतिशत की गणना: ऑनर्स/ वैकल्पिक/ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो तो उन सब में प्राप्त अधिकतम अंकों को जोड़ते हुए सभी सेमिस्टरों/ वर्षों में सभी विषयों में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक को विभाजित कर प्रतिशत अंक की गणना की जाएगी. यह उन विश्वविद्यालयों के मामले में भी लागू होगा जहां क्लास/ ग्रेड का निर्णय ऑनर्स के अंकों के आधार पर ही किया जाता है. यदि गणना में प्रतिशत का भाग आता है तो उसे इग्नोर किया जाएगा अर्थात् 49.99% को 50% से कम माना जाएगा..

2. पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या उसे सशस्त्र बलों की मैट्रीकुलेशन अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही रक्षा सेवा में 15 वर्ष की सेवा प्रदान करनी चाहिए.

3. **किसी राज्य में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य की भाषा में प्रवीण होना चाहिए (यथा उसे उस भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की योग्यता होनी चाहिए).** संबन्धित राज्य के राजपत्र में घोषित प्रमुख भाषा राज्य की राजभाषा होगी.

(इ) चयन की प्रक्रिया:

<u>विकास सहायक</u>

I – प्रारम्भिक परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	40	कुल 60 मिनट
2.	आंकिक योग्यता की परीक्षा	30	30	
3.	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	
	कुल	**100**	**100**	

II – मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट
2.	संख्यात्मक अभिक्षमता	30	30	

3.	सामान्य जागरूकता (कृषि, ग्रामीण विकास और बैंकिंग के विशेष संदर्भ में)	50	50	और विवरणात्मक परीक्षा के लिए 30 मिनट
4.	कंप्यूटर ज्ञान	40	40	
5.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा (वर्णनात्मक)	निबंध, सार लेखन, रिपोर्ट/ पत्र लेखन	50	
	कुल		**200**	

विकास सहायक (हिन्दी) :

I - प्रारम्भिक परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	**परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**कुल समय**
1.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	40	कुल 60 मिनट
2.	व्यावसायिक ज्ञान (हिन्दी) की परीक्षा	30	30	
3.	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	
	कुल	**100**	**100**	

II - मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	**परीक्षा का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**कुल समय**
1.	तर्क शक्ति की परीक्षा	20	20	वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट और विवरणात्मक परीक्षा के लिए 30 मिनट
2.	व्यावसायिक ज्ञान (हिन्दी) की परीक्षा	50	50	
3.	सामान्य जागरूकता (कृषि, ग्रामीण विकास और बैंकिंग के विशेष संदर्भ में)	40	40	
4.	कंप्यूटर ज्ञान	40	40	
5.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा (वर्णनात्मक)	निबंध, सार लेखन, रिपोर्ट/ पत्र लेखन	50	
	कुल		**200**	

III. भाषा दक्षता परीक्षा:

चयन के लिए अर्हताप्राप्त जो अभ्यर्थी 10वीं अथवा 12वीं कक्षा का ऐसा अंकपत्र/ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें एक विषय के रूप में राज्य की राजभाषा इंगित हो, उनकी भाषा दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी. अन्य अभ्यर्थियों के मामले में (जो चयन के लिए अर्हताप्राप्त हों) भाषा दक्षता परीक्षा, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद संबन्धित राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय में ली जाएगी. भाषा दक्षता परीक्षा संबन्धित राज्य की राजभाषा में ली जाएगी. **जो अभ्यर्थी राजभाषा में दक्ष नहीं पाए जाएंगे उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा अर्थात्** जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में असफल होते हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी.

आयोजित की जानेवाली भाषा दक्षता परीक्षा का विवरण मुख्य परीक्षा के बाद नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. चुने गए अभ्यर्थियों/ प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा का स्वरूप क्वालिफ़ाइंग प्रकृति का होगा. तथापि, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में क्वालिफ़ाइंग अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. इस संबंध में, संबन्धित राज्य/ राज्यों के लिए भाषा दक्षता परीक्षा हेतु निर्दिष्ट भाषा/ भाषाओं की सूची अनुबंध I में दी गई है.

परीक्षा योजना:

i. अंग्रेजी विषय को छोड़कर प्रारम्भिक और मुख्य ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध होगी.

ii. प्रारम्भिक परीक्षा केवल क्वालिफ़ाइंग होगी और इसका आशय जांच परीक्षा से है. जो अभ्यर्थी एकल परीक्षाओं और समग्रत: दोनों में पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त करेंगे केवल उन्हे ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित कट-ऑफ के अनुसार अधिकतम 1:25 के अनुपात में बुलाया जाएगा. इसी प्रकार जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में कट-ऑफ अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें ही चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

iii. परीक्षा के दोनो चरणों में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे. एक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक दंड के रूप में कम कर दिया जाएगा.

iv. परीक्षा से संबन्धित अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी जिसे अभ्यर्थी नाबार्ड की वेबसाइट से परीक्षा के कॉल-लेटर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं.

v. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उनके अंक के आधार पर उनकी योग्यता और बायोमेट्रिक जांच के आधार पर किया जाएगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा. चयन के लिए अस्थायी रूप से पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. पद के लिए निर्धारित योग्यता और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना की जांच के बाद ही नियुक्ति की जाएगी.

vi. सही और गलत उत्तरों में समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए विभिन्न अभ्यर्थियों के उत्तरों का विश्लेषण किया जाएगा. यदि इस विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है/ निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और इस प्रकार प्राप्त अंक प्रामाणिक / वैध नहीं हैं, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है. यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ अथवा सहायता लेता या देता हुआ या किसी अशोभनीय कृत्य करता पाया जाता है तो, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. नाबार्ड ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है.

vii. यदि कोई अभ्यर्थी पररूपधारी हो अथवा जिसे नाबार्ड द्वारा प्रतिरूपण या छेड़छाड़ किए गए जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य वक्तव्य देने अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने अथवा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अन्य अनियमित या गलत तरीका अपनाने अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीका अपनाने का प्रयास करने अथवा परीक्षा भवन में अभद्र व्यवहार करने का दोषी घोषित किया गया हो, उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा.

(II) चयन प्रक्रिया:

i. **अंतिम चयन के लिए राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी.** प्रारम्भिक परीक्षा (चरण I) में प्राप्त अंकों को चयन के लिए अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा. केवल मुख्य परीक्षा (चरण-II) के वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विवरणात्मक परीक्षा दोनो में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए जोड़ा जाएगा.

ii. **समान अंक प्राप्त होने की स्थिति समाधान निकालना:** यदि एक से अधिक अभ्यर्थी एक-समान अंक प्राप्त करते हैं, तो इस मामले को निम्नलिखित तरीकों से क्रमानुसार हल किया जाएगा:
   क) उच्च शैक्षणिक योग्यता
   ख) यदि शैक्षणिक योग्यता समान हो, तो स्नातक में प्राप्त उच्चतर अंक
   ग) यदि स्नातक में समान अंक हो, तो उच्चतर वय को वरीयता दी जाएगी.

iii. **प्रतीक्षा सूची:** रिक्तियों के 50% तक (राज्य-श्रेणी वार) अथवा न्यूनतम **तीन** के अधीन प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी. केवल चुने गए अभ्यर्थियों की सूची के अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा. पैनल की वैधता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष अथवा विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के लिए अगली भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तिथि इसमें जो भी पहले, तब तक होगी.

iv. **चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक के नियमों के अनुसार उनके चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य घोषित किए जाने की शर्त पर होगी.**

(ई) **अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण**

बैंक, अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करेगा. जो अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं वे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के आवेदन का भर कर **ई-मेल के माध्यम से prerecruitment@nabard.org पर 11 अक्तूबर 2022** के पहले भेज दें.

इस ई-मेल का विषय निम्नानुसार होना चाहिए: "विकास सहायक/विकास सहायक (हिंदी) -2022 के लिए अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के लिए आवेदन."

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रारम्भिक परीक्षा से पहले आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को आवेदन में दिए गए उनके ई-मेल पर प्रशिक्षण की तिथि, समय आदि की जानकारी अग्रिम रूप से दी जाएगी. प्रशिक्षण पर्याप्त संख्या में अनुरोध होने पर ही प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा.

पीडबल्यूबीडी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ विधिवत भरे गए फॉर्म की स्कैन की गई प्रति उपर्युक्त उल्लिखित (अनुबंध-II) ई-मेल आईडी पर भेजें.

5. परीक्षा केंद्र:

i. प्रारम्भिक परीक्षा अनुबंध III में यथानिर्दिष्ट राज्यों में विभिन्न केन्द्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को उसी राज्य के केंद्र का विकल्प चुनना होगा जिसके लिए उन्होने आवेदन किया है.

ii. मुख्य परीक्षा संबन्धित राज्य में किसी भी स्थान (स्थानों) पर आयोजित की जाएगी. तथापि, आधारभूत सुविधा से संबन्धित किसी अदृष्टपूर्व स्थिति में केन्द्रों को किसी अन्य स्थान पर ले जाया/ संयुक्त किया जाएगा/ एक में मिलाया जा सकता है.

iii. तथापि, नाबार्ड को यह अधिकार है कि वह विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी परीक्षा केंद्र को रद्द कर दे और/ या कुछ अन्य केंद्र जोड़ दे.

iv. नाबार्ड को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को उसके दिए गए विकल्प के अनुसार केंद्र आबंटित न कर कोई अन्य केंद्र आबंटित कर दे.

v. अभ्यर्थी अपने जोखिम और अपने खर्च पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए आएंगे और नाबार्ड किसी भी प्रकार की किसी क्षति या हानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

vi. परीक्षा केंद्र के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

vii. परीक्षा के केंद्र/स्थल/ तारीख/ सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

viii. "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशिष्ट केंद्र हेतु यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी विकल्प नहीं देते हैं तो नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह उन अभ्यर्थियों को नजदीकी केंद्र आबंटित करे या यदि किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपलब्ध क्षमता से अधिक संख्या में अभ्यर्थी विकल्प देते हैं तो या नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करे.

6. सेवा की शर्तें/ करियर की संभावनाएं:

(i) वेतनमान:

चुने गए अभ्यर्थी रु. **Rs.13150 -750(3) -15400 -900(4) -19000 -1200 (6) -26200 -1300 (2)-28800-1480 (3)-33240 -1750(1) -34990 (20 वर्ष)** के वेतनमान में आरंभ में **प्रति माह रु. 14**,650/- **का मूल वेतन (दो वेतनवृधियों सहित)** और समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्ते नामतः, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता आदि आहारित करेंगे. वर्तमान में विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) की सकल मासिक परिलब्धियाँ लगभग रु.32,000/- हैं.

(ii) अनुलब्धियाँ:

पात्रता के अनुसार, उपलब्धता के अधीन नाबार्ड का आवास, कार्यालयीन प्रयोजन से गाड़ी के लिए पेट्रोल की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, ब्रीफकेस, पुस्तक अनुदान, आवास सज्जा भत्ता, आदि. पात्रता के अनुसार बाहरी उपचार/ अस्पताल में भर्ती होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा डिस्पेन्सरी की सुविधा; व्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, दो वर्ष में एक बार छुट्टी किराया सुविधा (स्वयं, पति/ पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए). आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम. नए भर्ती होने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी और वैकल्पिक ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान के लाभ के अतिरिक्त डिफ़ाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से संचालित होंगे.

(iii) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की यथोचित संभावनाएं हैं.

(iv) चुने गए अभ्यर्थियों को आरंभ में नाबार्ड के प्रधान कार्यालय/ जिस क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, उस कार्यालय में पदस्थापित किया जाएगा. तथापि वे भारत में कहीं भी स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे.

7. आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रिया

- **अ. आवेदन का पंजीकरण**
- **आ. शुल्क का भुगतान**
- **इ. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करना**

अभ्यर्थी केवल 15 सितंबर 2022 से 10 अक्तूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पात्र अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है. आवेदन का कोई अन्य साधन / मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में ही भरना चाहिए. हिंदी भाषा के उपयोग का विकल्प प्रारम्भिक / मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध होगा.

<u>रजिस्ट्रेशन के पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:</u>

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी:-

i. स्कैन करें:
अपना फोटोग्राफ (4.5 से. मी. x 3.5 से. मी.)
हस्ताक्षर (काली स्याही से)
बाएँ हाथ के अंगूठे की छाप (सफ़ेद कागज़ पर काली या नीली स्याही से)
एक हस्तलिखित घोषणा (सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से) (पाठ नीचे दिया गया है)
स्कैन करे और यह सुनिश्चित करे कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड करने के संबंध में विज्ञापन में दिए गए विशिष्ट विनिर्देशों का पालन किया जाता है.

ii. बड़े (कैपिटल) अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

iii. बाएं हाथ के अंगूठे की छाप अच्छी तरह से स्कैन की जाए और अस्पष्ट न हो. (यादों बायां अंगूठा न हो पूरा न हो, तो अभ्यर्थी आवेदन के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप ले सकता है).

iv. हस्तलिखित घोषणा का पाठ निम्नानुसार है : -

"I.....................(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

v. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी के अपने हस्तलेख में होगी और केवल अंग्रेजी में होगी. यदि यह किसी अन्य के द्वारा लिखी और अपलोड की गई होगी या किसी अन्य भाषा में होगी तो आवेदन को अवैध माना जाएगा. (दृष्टिगत बाधा वाले जो अभ्यर्थी लिख नहीं सकते वे घोषणा के पाठ को टंकित करा कर टंकित घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगाकर दस्तावेज़ को विनिर्देशों के अनुसार अपलोड कर सकते हैं.)

vi. अपेक्षित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें.

vii. अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. बैंक परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेज सकता है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न हो, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ई-मेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए.

क. <u>आवेदन का पंजीकरण:</u> आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी करें:-

i. अभ्यर्थी उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनो आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि "फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश" के तहत दिए गए है.

ii. मुख्य परीक्षा के समय और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहचान के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए तैयार रहें.

आवेदन का पंजीकरण

- अभ्यर्थी नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org/career notices पर होम पेज में जाएँ और **"यहाँ अप्लाई करें"** पर क्लिक करें जिससे नया स्क्रीन खुलेगा.

- आवेदन पत्र के पंजीकरण के लिए "क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन" टैब का चयन करें और उसमें अपना नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी भरें. सिस्टम के द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जेनरेट किया जाएगा और वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. अभ्यर्थी अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करे. अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्शाने वाला ई-मेल और एसएमएस भी अभ्यर्थी को भेजा जाएगा.

- यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भर नहीं पाता है तो "सेव एंड नेक्स्ट" टैब का चयन कर डाटा को सेव किया जा सकता है. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले आवेदन फॉर्म में विवरण का सत्यापन करने से पहले "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन करें. दृष्टि बाधित अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक आवेदन फॉर्म भरें और अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले उसमें भरा गया विवरण सही है यह सुनिश्चित करने के लिए उसे सत्यापित करें/ सत्यापित करवाएँ.

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना विवरण सावधानीपूर्वक भरें और उसे स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन** क्लिक करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होगा/ नहीं करने दिया जाएगा.

- अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों/ अंकों-पत्रों में जिस प्रकार उनका नाम लिखा गया है उसी प्रकार अभ्यर्थी या उनके पिता/ पति आदि का नाम लिखा है उसी प्रकार आवेदन फॉर्म में लिखा जाए. किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ फेरबदल किए जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी.

- 'वेलिडेट यूअर डिटेल्स' और 'सेव अँड नेक्स्ट' बटन को क्लिक कर आपके विवरणों को प्रमाणित और सेव करे.

- अभ्यर्थी, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने के संबंध में "इ" के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों में दिए गए विवरण के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें.

- अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म के अन्य विवरण भरें.

- **अंत में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करने से पहले सम्पूर्ण आवेदन फॉर्म का प्रिव्यू देखने और उसे सत्यापित करने के लिए प्रिव्यू टैब को क्लिक करें**.

- यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं तथा आपके द्वारा अन्य विवरण सही भरे गए हैं यह सुनिश्चित करने के बाद ही "**कंप्लीट रजिस्ट्रेशन**" बटन क्लिक करें.

- "पेमेंट" टैब पर क्लिक करें और भुगतान करें.

- "सबमिट" बटन क्लिक करें.

शुल्क का भुगतान- ऑनलाइन मोड

- आवेदन फॉर्म पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है और नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन कर भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
- भुगतान डेबिट कार्डों (रुपे/ विजा/ मास्टर कार्ड/ मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्डों, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्डों/ मोबाइल वालेटों का उपयोग करते हुए किया जा सकता है.
- **ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान की सूचना सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी को सर्वर से सूचना आने का इंतजार करना चाहिए. बैक या रिफ्रेश बटन को दबाना नहीं चाहिए ताकि डबल पेमेंट से बचा जा सके.**
- लेन-देन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक ई-रसीद जनरेट होगी.
- ई-रसीद का जनरेट न होना पेमेंट फेल्यूयर दर्शाता है. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट के फेल हो जाने पर वे अपने अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर भुगतान की प्रक्रिया दोहराएँ.
- **अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ई-रसीद और ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट लें. कृपया यह नोट करें कि यदि ई-रसीद जनरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन लेन-देन सफल नहीं हुआ**.
- क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए: सभी राशियाँ भारतीय रुपए में दी गई है. यदि आप गैर-भारतीय कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका बैंक वर्तमान विनिमय दर के आधार पर उसे आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा.

- यदि फॉर्म भरने, शुल्क का भुगतान करने या कॉल लेटर प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो **http://cgrs.ibps.in** पर शिकायत भेजी जा सकती है. कृपया ई- मेल के विषय के अंतर्गत 'नाबार्ड विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के लिए परीक्षा' लिखना न भूलें.
- अपने डेटा की सुरक्षा के लिए लेन-देन पूर्ण हो जाने के बाद अपना ब्राउज़र विंडो बंद कर दे.

ख. **आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (वापसी योग्य नहीं)**

आवेदन शुल्क (लागू जीएसटी को छोड़कर) वापसी योग्य नहीं है और इसे निम्नानुसार ऑनलाइन भुगतान किया जाना है. आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन प्रभार को अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा.

अभ्यर्थियों का संवर्ग	आवेदन शुल्क	परीक्षा शुल्क	कुल शुल्क
अजा/ अजजा/ पीडबल्यूबीडी/ पूर्व सैनिकों के लिए	-	रु. 50	रु. 50*
अन्य सभी	रु. 400	रु. 50	रु. 450*
स्टाफ @	@	@	@

*लागू जीएसटी को छोडकर

@ शैक्षिक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले नाबार्ड के सभी कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे. उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय उपर्युक्त बताए गए शुल्क / सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे केवल नाबार्ड के उन कर्मचारियों (स्टाफ अभ्यर्थियों) को शुल्क रसीद जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जो पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.

ई. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करना

- **यदि फोटोग्राफ में हस्ताक्षर या चेहरा अस्पष्ट है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.**
- **ऐसे मामले में अभ्यर्थी आवेदन को एडिट कर हस्ताक्षर/ फोटो फिर से अपलोड कर सकते हैं.**

फोटोग्राफ इमेज

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए.
- फोटोग्राफ हल्के रंग में, विशेष कर सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि में लिया होना चाहिए.
- चिंतामुक्त चेहरे के साथ कैमरे के सामने सीधा देखिए.
- यदि सूर्य प्रकाश में अथवा सूर्य आपके पीछे होने की स्थिति में फोटो लें या छाँव में रहें ताकि आपकी आँखें तिरछी न हों और कोई घनी परछाई न आ रही हो.

- यदि आपको ‘फ्लैश’ का उपयोग करना है तो यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ में ‘रेड आय’ नहीं दिखें.
- यदि आपने चश्मे पहन रखे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्शन नहीं है व आँखें स्पष्ट दिख रही हैं.
- टोपी, गोल-टोपी और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं होंगे. चेहरा नहीं ढंकनेवाली धार्मिक पगड़ी की अनुमति होगी.
- डायमेंशन्स 200 x 230 पिक्सल्स (अधिमानतः)
- 20 केबी से 50 केबी तक फ़ाइल साइज़
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैंड इमेज 50 केबी से अधिक न हो. यदि फ़ाइल 50 केबी से अधिक हो तो, तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर का सेटिंग जैसे डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को एडजस्ट करें.
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित आकार का फोटो अपलोड किया जाए और चेहरा स्पष्ट दिखाई दे.
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया जाए. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणापत्र की इमेज:

- अभ्यर्थी को काली स्याही से सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे.
    - डाइमेनशन 140 x 60 पिक्सेल (अधिमानतः)
    - हस्ताक्षर के लिए फ़ाइल का साइज़ 10 केबी-20 केबी
    - यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकर 20केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- अभ्यर्थी को काली या नीली रंग की स्याही से सफ़ेद कागज पर अपने बाएँ अंगूठे का निशान लगाना होगा.
    - <u>फ़ाइल का प्रकार :</u> jpg / jpeg
    - डाइमेनशन: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए जरूरी) 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई* ऊंचाई)
    - <u>फ़ाइल साइज़:</u> 20 केबी– 50 केबी
- अभ्यर्थी को काली स्याही से सफ़ेद कागज पर अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र लिखना होगा.
    - <u>फ़ाइल का प्रकार</u>: jpg / jpeg
    - <u>डाइमेनशन:</u> 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए जरूरी) 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई* ऊंचाई)

- फ़ाइल साइज़: 50 केबी– 100 केबी

- हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे की छाप और हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी की और उसके ही द्वारा होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.
- कॉल लेटर पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और परीक्षा के दौरान उपस्थिती शीट पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का मिलन अपलोडेड हस्ताक्षर से होना चाहिए ऐसा नहीं होने पर, अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा.
- बड़े (कैपिटल) अक्षरों में हस्ताक्षर/ हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग:

- स्केनर न्यूनतम 200 डीपीआई तक सेट करें (प्रति इंच डोट्स)
- कलर को 'ट्रू' कलर में सेट करें
- फ़ाइल साइज़ उकतानुसार विनिर्दिष्ट
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा के अंतिम सिरे तक स्केनर में इमेज को क्राप करें और उसके बाद (ऊपर विनिर्दिष्टानुसार) अपलोड एडिटर का उपयोग कर इमेज को क्राप कर उसे अंतिम आकार दें
- फ़ाइल की इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के रूप में – फ़ाइल का नाम है : इमेज 01.जेपीईजी इमेज 01.जेपीईजी इमेज डायमेंशन्स की जांच फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग या फ़ाइल इमेज आइकोन पर माउस को घूमा कर की जा सकती है.
- एमएस-विंडो/ एमएस ऑफिस का प्रोयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर के माध्यम से अधिकतम क्रमशः 50 केबी और 20 केबी के फोटोग्राफ व हस्ताक्षर आसानी से जेपीईजी फार्मेट में प्राप्त कर सकते है. किसी भी फार्मेट में स्कैंड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज़'के विकल्प का उपयोग का 'सेव' किया जा सकता है और 'क्रॉप' का उपयोग कर उसके आकार को 50 केबी से कम (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) तक कम किया जा सकता है. {कृपया पिक्सल साइज़ हेतु इमेज मेनू में उक्तानुसार बिन्दु (i) और (ii) देखें}. अन्य फोटो एडिटर में भी इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं.

यदि फ़ाइल साइज़ आकार और प्रारूप यथा निर्धारित अनुसार नहीं होंगे तो 'गलती' का संदेश प्रदर्शित होगा.

- ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने हेतु लिंक दिया जाएगा.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने हेतु अलग-अलग लिंक होंगे.
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा में से संबंधित लिंक को क्लिक करें.
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा की फ़ाइल जहां 'सेव' की गई है वहां ब्राउज़ और सिलेक्ट करें.
- उस पर क्लिक करके फ़ाइल को सिलेक्ट करें.
- **'ओपन/ अपलोड'** बटन को क्लिक करें.
- यदि फाइल का आकार और स्वरूप निर्धारित रूप में नहीं है तो एक त्रुटि संदेश आएगा.
- अपलोड की गई इमेज का पूर्वावलोकन इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा. अस्पष्ट/धुंधला होने के मामले में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए पुन: अपलोड किया जा सकता है.
  ऑनलाइन आवेदन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूथे की छाप, हस्तलिखित घोषणा ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार अपलोड नहीं कर दिए जाते.

8. कदाचार के दोषी पाए जाने वाले/ अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई ऐसा विवरण न दें जो झूठा/हेर-फेर किया हुआ/ मनगढ़ंत हो.

परीक्षा के समय यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है-

(i) अनुचित साधनों का उपयोग या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की नाम से परीक्षा देना अथवा अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठाना या

(iii) परीक्षा हॉल में बदसलूकी करना या

(iv) अपनी उम्मीदवारी के मामले मीन किसी अनियमित या अनुचित साधन का उपयोग करना या

(v) किसी भी अनुचित माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, ऐसा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होने के अलावा:

जिस परीक्षा का वह अभ्यर्थी है उसके लिए उसे **अयोग्य** माना जाएगा.

नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए **विवर्जित किया जाएगा**, और

यदि पहले ही बैंक की सेवा में है तो उसे **नौकरी से निकाल दिया जाएगा**.

9. सामान्य नियम/ अनुदेश

1. **कॉल लेटर डाउनलोड करें**

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा (चरण I और चरण II) हेतु कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर जाना होगा. कॉल लेटर को डाउनलोड करने से संबन्धित सूचना ई-मेल/ एसएमएस से भेजी जाएगी. अभ्यर्थी द्वारा एक बार संबन्धित लिंक को क्लिक करने के बाद, वे कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी को (i) पंजीकरण संख्या/ रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/ जन्म तारिख का उपयोग करना होगा. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ विशेषकर जो उसने पंजीकरण के दौरान दिया है, को कॉल लेटर पर चिपकाना होगा और परीक्षा केंद्र पर नीचे खंड में यथा निर्धारित और जैसा कि कॉल लेटर में निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार (i) कॉल लेटर, (ii) फोटो पहचान पत्र तथा मूल फोटो पहचान पत्र की प्रति के साथ उपस्थित होना होगा.

2. **अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय**

अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय कॉल लेटर पर उल्लिखित परीक्षा के प्रारम्भ समय से पहले है. अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन, लॉग इन करना, अनुदेश देना आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित परीक्षा की अवधि से लगभग एक घंटे अधिक समय के लिए परीक्षा स्थल पर होना आवश्यक है.

3. **पहचान का सत्यापन**

परीक्षा के हॉल में प्रत्येक शिफ्ट के समय कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी के वर्तमान वैध फोटो पहचानपत्र अर्थात् आधार/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ मतदाता पत्र/ फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र/ जनप्रतिनिधि द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र/ जनप्रतिनिधि द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाल ही में जारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित आधार कार्ड/

ई-आधार कार्ड/ फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी पहचान पत्र/ बार काउंसिल का पहचान कार्ड परीक्षक के समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा. रैशन कार्ड या लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेन्स को अवैध पहचान पत्र माने जाएँगे. अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन उसके कॉल लेटर, उपस्थिती सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक विवरणों पर दिए गए विवरण के संदर्भ में किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेहास्पद है तो उसे परीक्षा में सहभागी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नोट: अभ्यर्थी को प्रत्येक शिफ्ट में परीक्षा के समय कॉल लेटर के साथ मूल फोटो पहचान पत्र और फोटो पहचान पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में सहभागी होने नहीं दिया जाएगा. चरण II की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को फोटो पहचान पत्र की दो/तीन प्रतियाँ ले जानी होगी. तथापि, चरण I में फोटो पहचान पत्र की केवल एक प्रति पर्याप्त होगी. अभ्यर्थी यह नोट करें कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) पर लिखा गया नाम फोटो पहचान पत्र पर लिखे नाम के साथ पूरी तरह से मेल खाना चाहिए. महिला अभ्यर्थी जिन्होंने विवाह के बाद अपना पहला/ अंतिम/ बीच का नाम बदला है वे विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें. नाम पूरी तरह से और बिल्कुल मेल खाना चाहिए. जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल लिया है, उनके मामले में केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना / उनका विवाह प्रमाण पत्र / हलफनामा प्रस्तुत करेंगे. यदि अभ्यर्थी के कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र पर दिए गए नाम में विसंगति है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

4. दस्तावेजों के संदर्भ में आवेदकों की आयु / योग्यता / श्रेणी (अजा/ अजजा/ अविप/ पीडब्ल्यूबीडी / ईडब्ल्यूएस) आदि के सत्यापन के बिना ऑनलाइन परीक्षा (चरण **I** और **II**) में प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा. **अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और ऑनलाइन आवेदनों में प्रस्तुत विवरण सभी मामलों में पूर्ण है.** यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता और/ या उसने कोई गलत/ मिथ्या सूचना प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी. यदि इनमें से कोई कमी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है तो उसकी सेवा को बिना किसी नोटिस के सरासरी तौर पर समाप्त किया जा सकता है.

5. राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित सरकारी/ अर्धसरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को नाबार्ड में नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

6. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल के परिसर में कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लू टूथ उपकरण या अन्य कोई कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रोनिंक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी.

7. अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर अपने स्वयं के खर्च पर ऑनलाइन परीक्षा (चरण 1 और 2) के लिए उपस्थित होना होगा.

8. अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए. यदि एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन के मामले में केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन को बनाए रखा जाएगा और अन्य पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा.

9. इस विज्ञापन और /या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद के मामले में कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में ही के जा सकेगी और केवल मुंबई स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ मंचों को ही किसी भी कारण/ विवाद को देखने का एकमात्र क्षेत्राधिकार होगा.

10. परीक्षा के आयोजन में किसी भी टहक की समस्या के उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता जिसके कारण परीक्षा और/या उसका परिणाम प्रभावित हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में समस्या के समाधान के पूरे प्रयास किए जाएंगे जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों पर शिफ्ट करना या यदि आवश्यक हो तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है. पुनः परीक्षा का आयोजन/ परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा. अभ्यर्थियों के पास पुनः परीक्षा के लिए कोई दावा नहीं होगा. इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए जो अभ्यर्थी इच्छुक नहीं है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी.

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए **सक्षम प्राधिकारी** निम्नानुसार हैं:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :

जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उप उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ उप जिला अधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं)/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त. चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो. उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है या जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है.

महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है.

नोट: ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल जातियों / उप-जातियों पर विचार किया जाएगा. तदनुसार, ओबीसी जाति / उप-जाति संबंधित राज्य सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं है, ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा.

(ख) पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए : जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र.

(ग) **ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए:**

ओबीसी प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए.

ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए मान्य होना चाहिए, जो 01-04-2022 को या उसके बाद जारी किया गया हो.

ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन **'क्रीमी लेयर'** में आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण और आयु में छूट के पात्र नहीं हैं. उन्हें अपनी श्रेणी को **सामान्य (अना)** या '**अना** (ओसी)' या **अना** (वीसी)' या **अना** (एचआई) (जैसा लागू हो) के रूप में इंगित करना चाहिए.

नियुक्ति के समय संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति/प्रतियां निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए.

(घ) **ईडबल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए:**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उप उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो और

(iv) उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और /या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है**.**

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 **के लिए होना चाहिए, जो** 01-04-2022 **को या उसके बाद जारी किया गया हो.**

12. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवेदन में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सभी मामलों में सही हैं.

13. अभ्यर्थी के लिए चरण I/ II ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रवेश का मतलब यह नहीं है कि बैंक अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में संदेह से परे संतुष्ट हो गया है. यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, और / या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी भौतिक तथ्य (तथ्यों) को दबा दिया है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाओं को सीधे तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा.

14. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक द्वारा नियुक्त/ अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी (ओं) द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है.

15. भर्ती से संबन्धित सभी मामलों में नाबार्ड का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में नाबार्ड द्वारा कोई भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा.

16. बैंक की सेवा में ऐसे अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, जो (ए) ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, बैंक की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है और (बी) ऐसी चिकित्सा परीक्षा के बाद, जैसा कि बैंक निर्धारित कर सकता है, अच्छे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं पाया जाता है और कर्तव्यों के कुशल निर्वहन करने की संभावना वाले किसी भी मानसिक और / या शारीरिक दोष से मुक्त पाया जाता है.

17. **यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.**

18. अभ्यर्थी अपने खर्चों और जोखिमों पर आबंटित केंद्रों पर चरण I और II ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और नाबार्ड उसके किसी भी प्रकृति की किसी भी चोट / हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

19. **पूर्ण ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट नहीं भेजा जाना चाहिए** .

20. चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी और / या प्रक्रिया उल्लंघन प्रदान करने के मामलों में अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें भविष्य में किसी भी नाबार्ड भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी.

21. **किसी भी प्रकार की पैरवी लाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा.**

22. बैंक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया की मार्कशीट प्रस्तुत नहीं करता है. चरण I (ऑनलाइन परीक्षा) और चरण II परीक्षा में प्राप्त अंक भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इंटरैक्टिव मोड में बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

23. **बायोमेट्रिक डेटा - कैप्चरिंग और सत्यापन**

मुख्य परीक्षा से अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे के निशान) और फोटो कैप्चर करने का निर्णय लिया गया है. बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ को बाद में सत्यापित किया जाएगा. बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन के स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा.

बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:

- यदि उंगलियों पर किसी प्रकार का रंग लगाया जाता है (मुहर लगी स्याही / मेहंदी / रंगीन, आदि), तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा से पहले कोटिंग पूरी तरह से हटा दी जाए.
- यदि गंदी या धूल भरी हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) कैप्चर होने से पहले उंगलियां धोयी हुई हो और अच्छी तरह से सूख गई हो.

- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों. यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सूखने के लिए प्रत्येक उंगली को पोंछ लें.
- यदि कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक उंगली (अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें. ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि की कैप्चर किया जा सकता है.

24. बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर उम्मीदवारों के लिए सूचित कोई भी नोटिस / संचार, सभी उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को पत्राचार की पर्याप्त सेवा माना जाएगा.

नोट:

उपर्युक्त विज्ञापन और इससे संबन्धित घोषणाओं पर जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को बैंक की वेबसाइट www.nabard.org. पर प्रकाशित किया जाएगा.

महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क/ सूचना प्रभार का भुगतान	**15 सितंबर 2022 से 10 अक्तूबर 2022**

मुंबई | **मुख्य महाप्रबंधक**
दिनांक: 15 सितंबर 2022 | **मानव संसाधन प्रबंध विभाग**

अनुबंध - I

राज्य की निर्दिष्ट भाषा

क्रम सं.	राज्य	राजभाषा / राजभाषाएँ
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगू
2	असम	असमी
3	बिहार	हिन्दी
4	छत्तीसगढ़	हिन्दी
5	गोवा	कोंकणी
6	गुजरात	गुजराती
7	हरियाणा	हिन्दी
8	कर्नाटक	कन्नड
9	मध्य प्रदेश	हिन्दी
10	महाराष्ट्र	मराठी
11	मणिपुर	मणिपुरी
12	नागालैंड	अंग्रेजी
13	नई दिल्ली	हिन्दी
14	ओडिशा	उड़िया
15	पंजाब	पंजाबी
16	राजस्थान	हिन्दी
17	तमिलनाडु	तमिल
18	तेलंगाणा	तेलुगू
19	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
20	उत्तराखंड	हिन्दी
21	पश्चिम बंगाल	बंगाली

<u>अनुबंध - II</u>

प्रशिक्षण के लिए आवेदन का फॉर्म

मुख्य महाप्रबंधक
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
प्रधान कार्यालय
मुंबई

स्थान:
दिनांक:

महोदय,

<u>भर्ती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण – विकास सहायक / विकास सहायक (हिन्दी) ग्रुप 'बी' के लिए</u>

मैंने उपर्युक्त पद के लिए आवेदन किया है. मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर -------------------- है. आपसे अनुरोध है कि अंग्रेजी/हिन्दी $ माध्यम में प्रशिक्षण के लिए मेरा नाम शामिल करें. शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र/ अपनी जाती प्रमाणपत्र की एक सत्यापित प्रति और मेरे द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में शुल्क रसीद की प्रति संलग्न करता हूं. मैं यह भी नोट करता हूं कि इस प्रशिक्षण में शामिल होने से मुझे परीक्षा के लिए या बैंक की सेवा में भर्ती के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा.

भवदीया/भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम :
सम्पूर्ण पता:
संवर्ग:
ई-मेल आईडी :
मोबाइल नंबर :

संलग्नक: जाति/शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र/शुल्क रसीद की सत्यापित प्रति

$ जो लागू न हों, उसे हटाएं
(नोट: हिंदी में प्रशिक्षण तभी आयोजित किया जाएगा जब अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त संख्या में अनुरोध किया जाएगा)

अनुबंध III (अ)

विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए भर्ती चरण II- पूर्व परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची	
राज्य	**शहर का नाम**
आंध्र प्रदेश	चिराला, एलुरु, गुंटूर, कडप्पा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम
असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
बिहार	आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया
छतीसगढ़	भिलाई नगर- दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर
नई दिल्ली	दिल्ली – एनसीआर
गोवा	पणजी, मडगाँव
गुजरात	अहमदाबाद- गांधी नगर, आनंद, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगाम, बीदर, देवेणगेरे, गुलबर्गा, हासन, हुबली-धारवाड़, मांड्या, मंगलुरु, मैसूर, शिमोगा, उडुपी
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन
महाराष्ट्र	अमरावती, अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/ एम एम आर क्षेत्र , नागपुर, नांदेड़, पुणे, रत्नागिरी, सोलापुर
मणिपुर	इम्फ़ाल
नागालैंड	कोहिमा
ओडिशा	बालासोर, ब्रह्मपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, मोहाली, पटियाला, चंडीगढ़
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
तमिलनाडू	चेन्नई, कोयंबटूर, इरोड, मदुरै, नागरकोइल/कन्याकुमारी, सलेम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेल्ली, वेल्लोर, विरुधुनगर
तेलंगाणा	हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, वाराणसी
उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी

अनुबंध– III (आ) विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए भर्ती चरण II- मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची	
राज्य	**शहर का नाम**
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
	विशाखापत्तनम
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
नई दिल्ली	दिल्ली – एनसीआर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद- गांधी नगर
हरियाणा	हिसार
कर्नाटक	बंगलुरु
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	मुंबई /ठाणे /नवी मुंबई// एम एम आर क्षेत्र
	पुणे
मणिपुर	इम्फाल
नागालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडू	चेन्नई
तेलंगाणा	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहारादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता /ग्रेटर कोलकाता